कृषि पदार्थों के साप्ताहिक मूल्य संग्रह संबंधी अनुदेश

भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन में वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन एक प्रमुख घटक है। किसी खास वस्तुओं एवं सेवा समूह में समय विशेष के अन्तराल में औसत मूल्य विचलन को मूल्य सूचकांक कहते है। वर्त्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य सूचकांक की चार विभिन्न श्रृंखलाओं की गणना एवं प्रकाशन किया जाता है। ये चार श्रृंखलाएं निम्नलिखित हैः–

1. औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW)
2. कृषि मजदूरों / ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL/RL)
3. शहरी गैर श्रमिक कर्मचारियों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-UNME)
4. थोक मूल्य सूचकांक (WPI)

बिहार राज्य में राज्य स्तर पर कृषि पदार्थों के थोक मूल्य सूचकांक की गणना एवं प्रकाशन किया जाता है। इसके अतिरिक्त थोक एवं खुदरा मूल्यों का मासिक एवं वार्षिक औसतीकरण किया जाता है। पूर्व में राज्य के 51 कृषि उत्पादन बाजार समितियों द्वारा कृषि पदार्थों के थोक एवं खुदरा साप्ताहिक मूल्य का संग्रह कर निदेशालय को प्रेषित किया जाता था। बिहार कृषि विपणन पर्षद एवं कृषि उत्पादन बाजार समितियों को सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप कृषि पदार्थों के मूल्य संग्रह का कार्य अवरूद्ध हो गया है।

सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 51 केन्द्रों से कृषि पदार्थों के थोक एवं खुदरा साप्ताहिक मूल्य का संग्रह विहित प्रपत्र में संबंधित प्रखंड के प्रखंड सांख्यिकी पर्यवक्षेक के द्वारा किया जायेगा। प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के पदस्थापित न होने की स्थिति में मूल्य संग्रह का कार्य संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

मूल्य संग्रह से संबंधित पारिभाषिक शब्द

थोक मूल्य :– थोक व्यापारी द्वारा खुदरा व्यापारी को बेचे जाने वाले विक्रय मूल्य को थोक मूल्य कहते है।

खुदरा मूल्य :– खुदरा व्यापारी द्वारा उपभोक्ता को बेचे जाने वाले विक्रय मूल्य को खुदरा मूल्य कहते है।

मूल्य संग्रह का दिन :– प्रत्येक शुक्रवार को मुल्य का संग्रह किया जाना है।

विपणन का व्यस्ततम समय :– यह स्थानीय बाजार का अधिकतम बिक्री का समय होगा। विभिन्न बाजार में यह समय भिन्न–भिन्न हो सकता है।

प्रतिवेदन का प्रेषण :– प्रतिवेदन तीन प्रतियों में तैयार किया जाना है। मूल प्रतिवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी के हस्ताक्षर से शुक्रवार को ही निर्गत किया जाना है। प्रथम प्रति निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार,, पटना को भेजी जानी है। इसकी दूसरी प्रति संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भेजी जानी है। तृतीय प्रति कार्यालय प्रति के रूप में सुरक्षित रखा जाना है।

सावधानियाँ :–

1. प्रपत्र में अंकित थोक / खुदरा मूल्य की इकाई को ध्यान में रखकर मूल्य का ब्यौरा अंकित करना है। यदि सामग्री का मूल्य भिन्न–भिन्न इकाई में उपलब्ध हो तो प्रपत्र में अंकित इकाई के अनुरूप परिवर्तन करके ही मूल्य का उल्लेख किया जाना है। उदाहरणार्थ–सरसों तेल का मूल्य यदि टीन में हो तो तद्नुसार मूल्य को प्रति क्विंटल / किलोग्राम में परिवर्तन कर मूल्य अंकित किया जाना है। इसी प्रकार केला का मूल्य भी अंकित करना अनिवार्य है।

2. पदार्थों के कोटि एवं प्रकार का उल्लेख अवश्य किया जाना है। प्रतिवेदन के प्रवह में कोटि एवं प्रकार को स्थिर रखा जाना है, ताकि मूल्यों में हुए विचलन का अध्ययन किया जा सके। अगर कोटि या प्रकार में बदलाव आता है तो इस बात का उल्लेख अभ्युक्ति के स्तम्भ में भी किया जाना है।

3. अगर क्रय–विक्रय का कार्य कृषि उत्पादन बाजार समिति के प्रागंण में होता है तो प्राथमिकता के आधार पर मूल्य संग्रह वहीं से करना है। अन्यथा स्थानीय बाजार से मूल्य का संग्रह किया जायेगा।

निरीक्षण –जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा अपने जिला के अन्तर्गत पड़ने वाले मूल्य संग्रह केन्द्र / केन्द्रों का निरीक्षण प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार किया जाना है तथा तत्संबंधी निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय को प्रेषित किया जाना है।